संलग्नक-15

प्रेषक,

[illegible] बेसिक शिक्षा अधिकारी,
एटा।

सेवा में,
प्रबन्धक,
[illegible] के अनुसार
संलग्न-परिशिष्ट [illegible]

पत्रांक: बे0शि0/मा0/12040-27/ /98-99 दिनांक: 05-03-99

विषय:- प्राइमरी की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मान्यता समिति की बैठक दि0 19-2-99 में लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश सं0 1073/15-6-98-18 (मान्यता)/89 दि0 10-9-98 में निहित निर्देशानुसार/शर्तों के अधीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है एवं इन अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पाँच वर्ष में स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को इसी अवधि में पूरा करना अनिवार्य होगा। यह मान्यतायें आगामी सत्र एक जुलाई 1999 से प्रभावी होगी।

1-सरस्वती शिशु मंदिर [illegible]पुर।
2-[illegible] सरस्वती शिक्षा मंदिर [illegible] वि0क्षे0 गंजडुण्डवारा।
3-सरस्वती शिशु मंदिर [illegible], वि0क्षे0 [illegible]
4-सरस्वती शिशु मंदिर [illegible], सोरों।
5-सरस्वती शिशु मंदिर [illegible] पो0 [illegible] वि0क्षे0 अलीगंज।
6-सरस्वती शिशु मंदिर [illegible], वि0क्षे0 [illegible]
7-[illegible] सरस्वती शिशु मंदिर [illegible] वि0क्षे0 [illegible]
8-[illegible] सरस्वती शिशु मंदिर [illegible] वि0क्षे0 [illegible]।
9-श्री [illegible] स्कूल [illegible] रोड न0क्षे0 एटा।
10-श्री [illegible], वि0क्षे0 [illegible]।
11-स्वामी [illegible] प्रा0वि0 [illegible] वि0क्षे0 [illegible]।
12-[illegible] पब्लिक स्कूल [illegible]
13-[illegible] विद्यालय [illegible], [illegible]।
14-सेन्ट [illegible] स्कूल न0क्षे0 [illegible]।
15-[illegible] पब्लिक स्कूल न0क्षे0 कासगंज।
16-[illegible] पब्लिक स्कूल [illegible], अलीगंज।
17-[illegible] सरस्वती बाल मंदिर [illegible] न0क्षे0 [illegible]।
18-रेड रोज पब्लिक स्कूल [illegible] रोड [illegible] नगर न0क्षे0 [illegible]
19-श्रीमती [illegible] देवी [illegible] वि0क्षे0 अलीगंज।
20-[illegible] स्मारक [illegible] जैथरा।
21-ज्ञानोदय विद्यालय वि0क्षे0 गंजडुण्डवारा।
22-चौ0 [illegible] सिंह प्रा0पा0 [illegible] वि0क्षे0 जैथरा।
23-[illegible] विद्यालय न0क्षे0 गंज0
24-[illegible] पब्लिक स्कूल, जैथरा।
25-[illegible] विद्यापीठ [illegible] वि0क्षे0 अलीगंज।
26-श्रीमती [illegible] देवी [illegible] वि0क्षे0 [illegible]।
27-शिशु [illegible] पब्लिक स्कूल [illegible] न0क्षे0 [illegible]।
28-[illegible] बाल विद्या मंदिर [illegible], जैथरा।
29-चौ0 [illegible] सिंह [illegible], [illegible]।

अगला.....2 पर...

जि0बे0शि0अ0
एटा।

॥2॥

30- श्री ओमकार सिंह प्रा०पा० सिकंदरपुर पेल वि०क्षे० अलीगंज।

31- एस०के०एस०पब्लिक स्कूल न०क्षे० कासगंज।

32- श्री [illegible] बाल शिशु मंदिर न०क्षे० [illegible] वि०क्षे० [illegible]।

33- श्री हरीश उपाध्याय मेमोरियल प्रा० वि० न० [illegible] वि०क्षे० [illegible]।

34- श्री दुर्गा शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय [illegible] वि०क्षे० सोरों।

35- कमलादेवी सरस्वती कन्या प्राथमिक स्कूल न०पा० [illegible] [illegible] गंज रोड न०क्षे० एटा।

36- [illegible]देवी बाल मंदिर [illegible], [illegible]पुर।

37- माँ [illegible]देवी प्रारम्भिक स्कूल [illegible] रोड, [illegible]

38- श्री नाथूराम [illegible]देवी सरस्वती शिशु भवन [illegible]राम गेट न०क्षे० कासगंज।

39- [illegible] प्रारम्भिक स्कूल गाँधी मार्केट, एटा।

40- शांति निकेतन विद्यालय वि०क्षे० जैथरा।

41- श्री एस०एम०पब्लिक स्कूल संजय नगर एटा।

42- सरस्वती देवी शिक्षा मंदिर पिलुआ, वि०क्षे० [illegible]।

43- इस्लामिया [illegible] [illegible], पटियाली।

44- श्री [illegible] प्रा०पा० [illegible], अलीगंज

45- श्री [illegible] प्रा०पा० [illegible] रोड, अली०

46- आदर्श शिशु [illegible] [illegible]पुर, [illegible]पुर

47- आदर्श [illegible] प्रा०पा० [illegible], [illegible]।

48- श्रीमती [illegible] प्रा०वि० [illegible], वि०क्षे० [illegible]।

49- [illegible]देवी प्रा०वि० [illegible], वि०क्षे० कासगंज।

88- - - - - - - - - - - - - - - - -

भवदीय

( [illegible] कुमार )

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा।

पृ०सं०/बि०शि०/12818-27/ /20-99 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिला समाज कल्याण अधिकारी एटा।

2- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी [illegible] एटा।

3- संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद एटा।

4- संबंधित सहायक निरीक्षक अधिकारी जनपद एटा।

( [illegible] कुमार )

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा।

Manager
S.T.S. Public School
Kasganj [Etah]

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज।

पत्रांक : जि0बे0शि0(कास0) / मान्यता / 14676 / 2019–20, दिनांक :– 05.3.2020

प्रबन्धक,

एस०जे०एस० पब्लिक स्कूल
सोरों रोड, कासगंज।

विषय :– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक........................के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं एस०जे०एस० पब्लिक स्कूल सोरों रोड कासगंज को दिनांक 05.3.2020 से दिनांक 04.3.2023 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन होगी–

1. मान्यता की मंजरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / सम्बद्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय की किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके मात–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–
   (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसीकक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से काई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकाधिक किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) *अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को* प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन यथाअधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में योजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकतिथ पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षक के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं–

**विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल**

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल की सुविधा

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए कियां जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड.....14676.... है। कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक को उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निर्देश/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

05/03/202

(अंजली अग्रवाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज।